

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय

प्रलमिस के लयि :

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियम (POCSO अधनियम), यौन अपराध, [आपराधकि कानून \(संशोधन\) अधनियम, 2018](#)

मेन्स के लयि :

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय, केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लयि कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का प्रदर्शन ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्षों (वर्ष 2026 तक) के लयि **फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय (FTSCs)** को जारी रखने की मंजूरी दे दी है ।

- प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में एक वर्ष के लयि शुरू की गई इस योजना को **मार्च 2023 तक अतिरिक्त दो वर्षों के लयि बढ़ा दिया गया था ।**

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय (FTSCs) क्या है?

- **परचिय:**
 - FTSCs भारत में स्थापति वशेष न्यायालय हैं जनिका प्राथमकि उद्देश्य यौन अपराधों से संबंधति मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेज़ी लाना है, वशेष रूप से [यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधनियम \(POCSO अधनियम\)](#) के तहत **बलात्कार और उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाना है ।**
 - FTSCs की स्थापना सरकार द्वारा यौन अपराधों की चतिजनक आवृत्ति और नयिमति न्यायालयों में लंबति मुकदमों की लंबी अवधि के चलते की गई, जसिके परिणामस्वरूप पीड़ितों को न्याय प्राप्त में देरी हुई ।
- **स्थापना:**
 - केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में **दंड वधि (संशोधन) अधनियम** लागू किया, जसिमें बलात्कार अपराधियों के लयि मृत्युदंड सहति कठोर दंड के प्रावधान कयि गए ।
 - इसके बाद ऐसे मामलों में त्वरति न्याय सुनिश्चति करने के लयि FTSC की स्थापना की गई ।
- **केंद्र प्रायोजति योजना:**
 - FTSC स्थापति करने की योजना **अगस्त 2019** में एक [केंद्र प्रायोजति योजना](#) के रूप में भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** के स्वतः संज्ञान रटि याचिका (आपराधकि) में नरिदेशों के बाद तैयार की गई थी ।
- **अब तक की उपलब्धियाँ:**
 - तीस राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों ने इस योजना में भाग लयि है तथा 414 वशिष्ट POCSSO न्यायालयों सहति 761 FTSC का संचालन कयि गया है, जनिहोंने 1,95,000 से अधिक मामलों का समाधान कयि है ।
 - ये न्यायालय यौन अपराधों के पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने के राज्य/केंद्रशासति प्रदेश सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हैं । यहाँ तक कि दूरवर्ती इलाकों में भी ।

फास्ट ट्रैक वशेष न्यायालय से संबंधति चुनौतियाँ क्या हैं?

- **अपर्याप्त बुनयादी ढाँचा तथा कम नपिटान दर:**
 - भारत में वशेष न्यायालय अक्सर नयिमति न्यायालयों की तरह ही चुनौतियों से जूझते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर नए बुनयादी ढाँचे के रूप में स्थापति करने के बजाय नामति कयि जाता है ।
 - इससे न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जनिहें **आवश्यक सहायक कर्मचारियों** अथवा बुनयादी ढाँचे के बिना उनके मौजूदा कार्यभार

के अलावा अन्य श्रेणियों के मामले भी सौंप दिया जाता है।

- परिणामस्वरूप इन विशेष न्यायालयों में मामलों के नपिटारे की दर धीमी हो जाती है।
- प्रति न्यायालय प्रतिवर्ष लगभग 165 POCsO मामलों के नपिटान के अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति में भी काफी कमी है, देश में 1,000 से अधिक FTSCs में से वर्तमान में प्रत्येक की औसत वार्षिक तौर पर केवल 28 मामलों को नपिटान किया जा रहा है।

A COMPARISON

State/UT	Total Cases	Cases disposed (cumulative)	Cases pending (cumulative)	Disposal rate (in percentage)
Delhi	5,418	1,049	4,369	19
Uttar Pradesh	1,24,778	44,988	79,790	36
Tamil Nadu	10,214	5,178	5,036	50
Bihar	23,546	7,533	16,013	32
Gujarat	14,772	8,245	6,527	55
Maharashtra	20,143	14,326	5,817	67
Jammu & Kashmir	566	126	440	22
Kerala	19,797	12,870	6,927	65
Mizoram	188	125	63	66

-Figures from inception of the scheme in 2019 till May 2023

-Data from an answer to a question in the Rajya Sabha, July 27, 2023

16

SPECIAL FAST-TRACK COURTS IN DELHI

11

E-POCSO COURTS (AMONG THE 16)



■ लंबे समय तक लंबितता:

- 31 जनवरी 2023 तक FTSCs में 2.43 लाख से अधिक POCsO मामले लंबित हैं।
 - अनुमानों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में बैकलॉग/लंबित मामलों के नपिटान में कई दशकों का समय लगेगा।
 - वभिन्न राज्यों में अनुमानित परीक्षण अवधि भिन्न होती है, यह 21 से 30 वर्ष तक की हो सकती है।

■ दोषसिद्धि दर संबंधी चुनौतियाँ:

- एक वर्ष के भीतर परीक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखने के बावजूद शोधों से पता चलता है कि दोषसिद्धि दर काफी कम है।
 - वचिराधीन 2,68,038 मामलों में से केवल 8,909 में दोषसिद्धि की जा सकी है, इसे लेकर FTSC की प्रभावकारिता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

■ सीमिति क्षेत्राधिकार:

- इन न्यायालयों की स्थापना एक विशेष क्षेत्राधिकार के साथ की जाती है, जो संबंधित मामलों के नपिटान की उनकी क्षमता को सीमिति कर सकती है। इससे न्याय वितरण में देरी हो सकती है तथा कानूनों के कार्यान्वयन में स्थिरता की कमी हो सकती है।
 - एक आदर्श स्थिति में इन विशेष न्यायालयों में मामलों का नपिटान एक वर्ष के भीतर किया जाना आवश्यक है। हालाँकि **मई 2023 तक दिल्ली के FTSC में कुल 4,369 लंबित मामलों में से केवल 1,049 मामलों का ही नपिटान किया गया था**। यह मामलों के नपिटान संबंधी लक्ष्य के पूरा होने में विलंबता को इंगति करता है।

■ न्यायाधीशों की रक्तियाँ और प्रशिक्षण का अभाव:

- न्यायाधीशों की रक्तियाँ और प्रशिक्षण का अभाव मामलों के प्रभावी नपिटान क्षमता को प्रभावित करता है।
 - वर्ष 2022 तक पूरे भारत में नचिली न्यायालयों में रक्तिा दर 23% थी।
 - सामान्य न्यायालयों के नियमिती न्यायाधीशों को अकसर FTSC में कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति किया जाता है।
 - हालाँकि इन न्यायालयों को मामलों के शीघ्र और प्रभावी नपिटान के लिये विशेष प्रशिक्षण वाले न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

■ कुछ अपराधों को अन्य अपराधों से अधिक प्राथमिकता दिया जाना:

- भारत में विशेष न्यायालयों की स्थापना सामान्यतः सरकार की न्यायिक और कार्यकारी दोनों शाखाओं द्वारा लिये गए तदर्थ नरिण्यों के आधार पर की जाती है।
 - इसका अर्थ है कि अपराधों की कुछ श्रेणियों के अन्य अपराधों की तुलना में तेज़ी से नपिटान के लिये मनमाने ढंग से प्राथमिकता दी जाती है।

महिला एवं बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या पहलें हैं?

- [बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और जाँच इकाई](#)
- [बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ](#)
- [कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#)
- [बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम \(2006\)](#)
- [बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016](#)

आगे की राह

- सुचारु और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिये FTSCs को कोर्ट रूम, सहायक कर्मचारी और आधुनिक तकनीक सहित पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाना चाहिये।
- इन विशेष न्यायालयों की स्थापना और रखरखाव के लिये अतिरिक्त धन आवंटित किया जाना चाहिये।
- नपिटान दर को बढ़ाने के लिये **FTSCs को सख्त मामला प्रबंधन, स्थगन के कारण होने वाली अनावश्यक देरी को कम** करने और साक्ष्य की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- यह न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने तथा कार्यवाही की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- रक्तियों को तुरंत भरने के प्रयास किये जाने चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले न्यायाधीशों को इन अदालतों में नियुक्त किया जाए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते मामले देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ नवीन उपाय सुझाइये। (2014)